संख्या- 24 /2025/99/चार-2025-1888623

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

2. निदेशक,
उ0प्र0 राज्य पुरातत्व निदेशालय,
कैसरबाग, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊ: दिनांक: 16 जनवरी, 2025**

विषय:- सनातन गर्व - महाकुम्भ पर्व के अवसर पर प्रयागराज महाकुम्भ-2025 में उ0प्र0 राज्य पुरातत्व निदेशालय, लखनऊ द्वारा आयोजित प्रदर्शनी से संबंधित अन्य कार्यों हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया निदेशक, उ0प्र0 राज्य पुरातत्व निदेशालय, लखनऊ के पत्र संख्या-2026/तृतीय-24(95)/2024, दिनांक 06.01.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रयागराज महाकुम्भ-2025 में प्रदर्शनी से संबंधित अन्य कार्यों हेतु रू0 42,20,978.00 की वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में अनुरोध किया गया है।

2. अवगत कराना है कि शासन के पत्र संख्या- 3439/चार-2024-1823487 दिनांक 18.11.2024 द्वारा प्रयागराज महाकुम्भ-2025 के आयोजन से संबंधित जेम निविदा/ ई-निविदा कराये जाने हेतु क्रमांक-7 पर अंकित पुरातत्व निदेशालय के प्रस्ताव - प्रदर्शनी का तकनीकी प्रदर्शन (ए0आर0/ वी0आर0 रेप्लिका, थ्री डी मॉडल, लघु फिल्में आदि) हेतु रू0 350.00 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसके सापेक्ष अब तक **रू0 2,25,47,039.00** की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

3. उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निदेशक, उ0प्र0 राज्य पुरातत्व निदेशालय के पत्र दिनांक 06.01.2025 में उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार प्रयागराज महाकुम्भ-2025 में उ0प्र0 राज्य पुरातत्व निदेशालय, लखनऊ द्वारा आयोजित प्रदर्शनी से संबंधित अन्य कार्यों हेतु निम्नलिखित सारणी के अनुसार **रू0 42,20,978.00 (रू0 बयालीस लाख बीस हजार नौ सौ अट्ठहत्तर मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति, शासन के पूर्व शासनादेश संख्या-3439/चार-2024-1823487, दिनांक 18 नवम्बर, 2024 द्वारा प्रदान की गयी प्रशासकीय स्वीकृति के क्रम में, प्रदान करते हुए प्रस्तर-4 में उल्लिखित शर्तो/ प्रतिबन्धों के अधीन धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है:-

क्र0	कार्य विवरण	संख्या	दर (रुपये में)	व्यय विवरण
1	महत्वपूर्ण 70 स्मारकों के छायाचित्रों के यू० वी० प्रिन्टेड ट्रांसलाईट शीट पर बैक लिड डिस्प्ले (क्लिप ऑन) बोर्ड	70	रु० 780.00 प्रति वर्गफुट जी०एस०टी० 18%	8,19,000.00 1,47,420.00
2	बोर्ड पैकिंग, बाक्स आदि	-	-	23,600.00
3	एल०ई०डी० डिस्प्ले साइज 216 सेमी०	02	2,74,999.00	5,49,998.00
4	पॉकेट फोल्डर हिन्दी	5000	18.90	94,400.00
5	पॉकेट फोल्डर इंगलिश	5000	18.90	94,400.00
6	10 महत्वपूर्ण स्मारकों के 360 डिग्री वर्चुवल टूर	10	2,11,200.00 जी०एस०टी० 18%	21,12,000.00 3,80,160,00
कुल योग (रुपये बयालीस लाख बीस हजार नौ सौ अठहत्तर मात्र)				**42,20,978.00**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

4. शर्तें / प्रतिबन्ध :-

(1) शासनादेश संख्या- 05 /2025/3936/चार-2024 दिनांक 03 जनवरी, 2025 में उल्लिखित शर्तें यथावत् रहेंगी।

(2) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के शासनादेश संख्या- 57/18-2-2024-97 (ल0उ0)/2016 दिनांक 26.11.2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अनुरूप टेण्डर/ जेम पोर्टल की दरों के आधार पर न्यूनतम दरों का निर्धारण किया जायेगा।

(3) वित्तीय औचित्य के मानकों एवं जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय के संबंध में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत शासनादेशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कर प्रस्तावित प्रदर्शनियों संबंधी कार्य पूर्ण कराए जाएं तथा कराये गये कार्यों पर व्यय की गयी धनराशियों के बिल वाउचर सत्यापित कर व्यय की गयी धनराशि के बिल भुगतान हेतु संस्कृति निदेशालय को उपलब्ध करायी जायेगी।

(4) स्वीकृत धनराशि का संबंधित संस्था/ संस्थान को समयान्तर्गत भुगतान के उपरान्त यथाशीघ्र शासन को सूचित कराया जायेगा।

5. उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-800-अन्य व्यय-14-महाकुम्भ-2025-42-अन्य व्यय मद में उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा।

6. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव

संख्या - 24 /2025 / 99(1) /चार-2025-1888623 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0डेस्को, लखनऊ।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।